[2021] 2 एस.सी.आर. 550

कृष्ण लाल चावला और अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 283)

08 मार्च, 2021

[मोहन एम. शांतनागौदर और आर. सुभाष रेड्डी जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

एस. 482 – यू/एस शिकायत करें। 200 Cr.P.C–यू/एस. एस. पर अपराधों का आरोप लगाना। 323 , 504 , 506 , 429 आई. पी. सी. और एस. 10 और क्रूरता की रोकथाम के 11

पशु अधिनियम, 1960–वर्ष 2018 में हुई एक घटना के संबंध में, अपीलार्थियों के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर किया गया

वर्ष 2012 में–मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ प्रक्रिया जारी की सत्र न्यायाधीश द्वारा पुष्टि–मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश के आदेशों को रद्द करने के लिए अपीलकर्ताओं की याचिका खारिज–सर्वोच्च न्यायालय में अपील–आयोजितः शिकायत में कहा गया है कि

शिकायतकर्ता (प्रतिवादी संख्या 2) ने इस भौतिक तथ्य को दबा दिया था कि यू/एस. एस. में पहले ही आरोप पत्र दायर किया जा चुका था। 323 , 325 , 504 और उसी घटना के संबंध में उसके और उसकी पत्नी के खिलाफ आई. पी. सी. 506 नई शिकायत की स्थापना अपीलार्थियों को परेशान करने के अप्रत्यक्ष उद्देश्य से न्यायालय को गुमराह करने का एक ठोस प्रयास था–विलंबित शिकायत मामला दर्ज करने में प्रतिवादी संख्या 2 का आचरण, भौतिक तथ्यों को दबाना और नई कार्यवाही का भौतिक रूप से उपयोग करना।

उसके पहले के संस्करण में सुधार करना, न्यायालय की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है–एक ही घटना के संबंध में एक ही पक्ष द्वारा कई शिकायतों को अनुमति देना सिद्धांतों के विपरीत होगा।

संविधान के यू/आई. डी. 1 के तहत परिकल्पित, अर्थात जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार और त्वरित सुनवाई का अधिकार–यू/आर्ट के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए। 142 संविधान के अनुसार, न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, अपीलार्थियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाता है–सभी

विचाराधीन घटना से उत्पन्न पक्षों के बीच अन्य मुकदमों को भी रद्द कर दिया जाता है–भारत का संविधान–कला। 21 और

142 .

आपराधिक न्याय का प्रशासनः

निचली न्यायपालिका की भूमिका–संविधान और Cr.P.C के तहत ट्रायल जज का कर्तव्य है कि वह तुच्छ की पहचान करे और उनका निपटारा करे।

प्रारंभिक चरण में मुकदमा।

न्यायपालिकाः

न्याय वितरण प्रणाली–व्यक्तिगत प्रतिशोध को पूरा करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए–जनहित याचिका के अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग करके तुच्छ मुकदमेबाजी

या आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करना दिन का नियम नहीं बनना चाहिए।

भारत का संविधानः

कला. 21 – त्वरित सुनवाई का अधिकार–इसमें न केवल वास्तविक सुनवाई शामिल होगी, बल्कि जांच और पुलिस के पूर्ववर्ती चरण भी शामिल होंगे। जाँच भी।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 उसी शिकायतकर्ता द्वारा उसी अभियुक्त के खिलाफ कोई और शिकायत, मामले के बाद पहले ही की जा चुकी है।

पंजीकृत, मूल शिकायत से सुधार माना जाएगा। [पैरा 5] [561–डी–ई]

उपकार सिंह बनाम। वेद प्रकाश और अन्य। (2004) 13 एससीसी

292 – उस पर भरोसा करें

1.2 संविधान का अनुच्छेद 21 इस बात की गारंटी देता है कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार उचित प्रक्रिया के अलावा नहीं खोया जाएगा।

एक ही घटना, चाहे वह एक संज्ञेय या निजी शिकायत अपराध से संबंधित हो, आरोपी को कई आपराधिक कार्यवाही में उलझाने का कारण बनेगी। इस तरह, वह मजबूर किया जाएगा पुलिस के सामने अपनी स्वतंत्रता और बहुमूल्य समय समर्पित करते रहें।

और प्रत्येक मामले में आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय। सीआरपीसी के प्रावधानों की इस तरह की बेतुकी और शरारतपूर्ण व्याख्या

यह संवैधानिक जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा और इसलिए इसे अपनाया नहीं जा सकता है। [पैरा 6] [562–डी–ई]

टी. टी. एंटनी बनाम केरल राज्य (2001) 6 एससीसी 181: [2001] 3 एससीआर 942; अमितभाई अनिलचंद्र शाह बनाम। सी. बी. आई. और एन. आर.

(2013) 6 एस. सी. सी. 328: [2013] 6 एस. सी. आर. 623–निर्भर

1.3 इस प्रकार, इस न्यायालय पर यह दायित्व है कि वह अपराधों की जांच करने की शक्ति के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखे।

सी. आर. पी. सी., और व्यक्ति का तुच्छ और दोहराए जाने वाले आपराधिक अभियोजनों से मुक्त होने का मौलिक अधिकार

राज्य की शक्ति से। [पैरा 7] [563–बी–सी] [2021] 2 एस. सी. आर.

1.4 यदि प्रत्यर्थी संख्या 2 अपने द्वारा दायर पहले के मामले में त्वरित जांच की कमी से व्यथित था, तो उपयुक्त

समाधान यह होता कि इस संबंध में पुलिस को निर्देश देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 (2) के तहत मजिस्ट्रेट के पास आवेदन किया जाता। पुलिस को सूचना देने की तारीख से छह साल के अंतराल के बाद, बिना किसी प्रस्तावना के एक निजी शिकायत दर्ज करना, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से दुर्भावनापूर्ण है। [पैरा 7] [563–सी–डी]

1.5 यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, नए शिकायत मामले में, प्रतिवादी संख्या 2 ने जानबूझकर दबा दिया है।

यह भौतिक तथ्य कि अपीलार्थी सं. 1 के बेटे द्वारा दायर एन. सी. आर. No.160/2012 (अपराध सं. 283/2017) के अनुसार, उसी घटना के संबंध में उसके और उसकी पत्नी के खिलाफ पहले से ही एक आरोप पत्र दायर किया गया था। इस आरोप–पत्र का कोई संदर्भ निजी में नहीं मिलता है।

शिकायत, या प्रतिवादी संख्या 2 और उसकी पत्नी द्वारा दायर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत बयानों में। वास्तव में, उनकी पत्नी की ओर से दायर निजी शिकायत और बयान दोनों में केवल यह कहा गया है कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया है कि उनकी एन. सी. आर. No.158/2012 के अनुसार जांच चल रही है। पत्नी के बयान में यह भी कहा गया है कि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तथ्यों का पूर्ण और सच्चा खुलासा करना वादी का परम कर्तव्य है। यह एक तुच्छ कानून का मामला है, और फिर भी दोहराया जाता है, कि अदालत के समक्ष भौतिक तथ्यों का दमन

न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के बराबर है, और उससे भारी हाथ से निपटा जाएगा। [पैरा 8] [563–डी–जी]

राम धन बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्र. (2012) 5 एससीसी 536: [2012] 3 एससीआर 1059; केडी शर्मा बनाम भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, (2008) 12 एस. सी. सी. 481: [2008] 10

एस. सी. आर. 454–निर्भर

अस्वस्थ मन। कथित घटना के 6 साल बाद शुरू किए गए एक छोटे से अपराध से संबंधित आपराधिक कार्यवाही में उन्हें घसीटने की अनुमति देने में कोई समानता नहीं है। डेमोक्लिस की तलवार को हमेशा के लिए उनके सिर पर लटकने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, अप्रत्याशित रूप से गिर रही है। एक वादी की सनक पर जो अपनी इच्छानुसार परेशान करने और प्रताड़ित करने की कोशिश करता है।

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार, जो त्वरित सुनवाई के अधिकार को समाहित करता है, में न केवल न्यायालय के समक्ष वास्तविक सुनवाई शामिल होगी, बल्कि जांच के पूर्ववर्ती चरण और पुलिस की जाँच भी। [पैरा 9] [563–जी–एच; 564–ए–बी]

वकील प्रसाद सिंह बनाम। बिहार राज्य (2009) 3 एस. सी. सी. 355 [2009] 1 एस. सी. आर. 517; अब्दुल रहमान अंतुले और अन्य। वी. आर. एस. नायक और अन्र. (1992) 1 एससीसी 225: [1991] 3

पूरक। एस. सी. आर. 325–पर निर्भर।

1.7 इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा 2018 में धारा 200 सी. आर. पी. सी. के तहत नए शिकायत मामले की स्थापना मजिस्ट्रेट को गुमराह करने का एक ठोस प्रयास था।

अपीलार्थियों को उनके खिलाफ एक तुच्छ और परेशान करने वाले मामले के साथ परेशान करना। कि यह अपीलार्थी द्वारा दर्ज मामले में प्रतिवादी संख्या 2 और उसकी पत्नी के खिलाफ दायर दिनांकित 17.09.2017 के आरोप पत्र का एक जवाबी विस्फोट था। पक्षों के बीच दुर्भावना और द्वेष का इतिहास आगे की विश्वसनीयता की ओर ले जाता है कथित घटना के लंबे वर्षों बाद, तुच्छ और कष्टप्रद आपराधिक मुकदमेबाजी में अपीलार्थियों को बांधने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 की प्रेरणाएँ। विलंबित शिकायत मामला दायर करने, भौतिक तथ्यों को दबाने और अपने पिछले संस्करण में भौतिक रूप से सुधार करने के लिए नई कार्यवाही का उपयोग करने में प्रतिवादी संख्या 2 का आचरण।

समग्रता, न्यायालय की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है। [पैरा 10] [564–सी–ई] 2.1 . भारत में न्याय वितरण तंत्र बैकलॉग से ग्रस्त है, जिसमें 70 प्रतिशत अधीनस्थों के समक्ष लंबित है।

अदालतें आपराधिक पक्ष में होती हैं। इस बैकलॉग में एक महत्वपूर्ण कारक वादियों द्वारा अपने शरारतपूर्ण उद्देश्यों के लिए न्याय की अदालतों का उपयोग करने के इरादे से साल दर साल स्थापित किए गए तुच्छ मुकदमों का विशाल समूह है। इस तरह के परेशान करने वाले मुकदमों को कम करना, इस प्रकार, एक अधिक प्रभावी न्याय प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है–एक ऐसा कदम जो निचली न्यायपालिका की सक्रिय भागीदारी के बिना नहीं उठाया जा सकता है, विशेष रूप से आपराधिक कार्यवाही में। [पैरा 11] [564–एफ–एच]

रोशनी सिन्हा, 'न्यायपालिका में लंबित मामलों की जांच', पी. आर. एस. इंडिया (8 अगस्त, 2019)–संदर्भित

2.2 धारा 154 और 200 यह स्पष्ट करते हैं कि मजिस्ट्रेट आपराधिक कार्यवाही [2021] 2 एस. सी. आर. की धारा का वहन करता है।

सूचना देने वाले/शिकायतकर्ता द्वारा इसे लागू करने के बाद आगे बढ़ाएँ।

नतीजतन, और स्वचालित रूप से, मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी लेता है कि यह धारा उन मामलों में आगे न बढ़े जहां इसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मजिस्ट्रेट को दी गई उपरोक्त शक्तियों का व्यक्तिगत नागरिकों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। जीवन और स्वतंत्रता। इस प्रकार, ये शक्तियाँ मजिस्ट्रेट के कंधों पर भी बड़ी जिम्मेदारी प्रदान करती हैं–और इसका उपयोग बहुत सावधानी के साथ और उचित न्यायिक दिमाग के बाद किया जाना चाहिए। [पारस 12 और 13] [565–बी–डी]

पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, (1998) 5 एस. सी. सी. 749 [1997] 5 पूरक। एस. सी. आर. 12–पर निर्भर।

2.3 धारा 202, सी. आर. पी. सी. के तहत मजिस्ट्रेट को एक निजी शिकायत के अनुसार प्रक्रिया के मुद्दे को स्थगित करने की शक्ति भी तुच्छ शिकायतों को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है जिनका पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए। [पैरा 14] [566–ए–बी]

चंद्र देव सिंह बनाम। प्रकाश चंद्र बोस और अन्र। , ए. आई. आर 1963 एस. सी 1430: [1964] एस. सी. आर. 639–पर निर्भर था।

2.4 ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक परीक्षण खोज की यात्रा है।

जो सच्चाई खोज है। भारत में, आम तौर पर, न्यायाधीश भारत में न्याय प्रणाली की प्रतिकूल प्रकृति के कारण 'तथ्य–निष्कर्ष' में सक्रिय रूप से शामिल नहीं होता है। तथापि, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 165 न्यायाधीश को आदेश देने की शक्ति प्रदान करती है।

सामग्री का उत्पादन और किसी भी समय किसी भी रूप के प्रश्न प्रस्तुत करना, कानूनी मामलों में पूछताछ प्रक्रियाओं के प्रभाव को चिह्नित करता है।

प्रणाली। यह व्यापक शक्ति आपराधिक कार्यवाही में न्याय और सच्चाई की खोज में मजिस्ट्रेट द्वारा निभाई गई केंद्रीय भूमिका को और प्रदर्शित करती है, और तुच्छ मुकदमेबाजी के प्रवाह को रोकने के लिए विवेकपूर्ण तरीके से नियोजित किया जाना चाहिए। [पैरा 15] [566–एफ–एच]

2.5 इस प्रकार, संविधान और सी. आर. पी. सी. के तहत विचारण न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वह किसी मामले में तुच्छ मुकदमे की पहचान करे और उसका निपटारा करे।

प्रारंभिक चरण में उसे प्रदत्त शक्तियों का पर्याप्त रूप से और पूरी तरह से प्रयोग करके। [पैरा 16] [567–ए–बी]

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम। भारत संघ (1992) 1 एससीसी 119: [1991] 2 पूरक। एस. सी. आर. 206–निर्भर।

2.6 तुच्छ मुकदमेबाजी भारत में आम बात नहीं बननी चाहिए। जनहित याचिका के दुरुपयोग से भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र में अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए, न्याय वितरण प्रणाली का उपयोग व्यक्तिगत प्रतिशोध को पूरा करने के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। [पैरा 17] [567–डी ई]

2.7 एक झूठा अभियुक्त व्यक्ति को न केवल आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि उसे समाज से बदनामी और कलंक का सामना करना पड़ता है। अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील खोजने के लिए एक से दूसरे पद पर भागते हुए और अदालत के समक्ष अपना बचाव करने के लिए वित्त की व्यवस्था करते हुए कानून, वह अपना एक हिस्सा खो देता है। इस अन्याय पर अंकुश लगाने में निचली अदालतों और मजिस्ट्रेटों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे ही हैं।

आपराधिक न्याय प्रणाली की अखंडता और परेशान और परेशान वादी दोनों के लिए रक्षा की पहली पंक्तियाँ। निचली अदालतों के पास न केवल मुकदमे के बाद आरोपी व्यक्ति को बरी करने या दोषी ठहराए जाने पर निर्णय लेने की शक्ति है, बल्कि उचित मामलों में आरोपी को आरोपमुक्त करके मुकदमे के चरण में पहुंचने से पहले ही तुच्छ मुकदमों को शुरू में ही समाप्त करने का कर्तव्य भी है। इससे न केवल न्यायिक समय की बचत होगी जो सार्वजनिक धन की कीमत पर आता है, बल्कि स्वतंत्रता के उस अधिकार की भी रक्षा होगी जिसका प्रत्येक व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हकदार है। इस संदर्भ में, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में विचारण न्यायाधीशों की उतनी ही जिम्मेदारी है, जितनी इस देश की सर्वोच्च अदालत की है। [पारस 17 और 18] [567–एच; 568–ए–डी]

सुब्रत रॉय सहारा बनाम। भारत संघ (2014) 8 एससीसी 470 : [2014] 12 एससीआर 573–पर निर्भर।

2.8 वर्तमान विवाद तुच्छ वादियों द्वारा अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का एक विशिष्ट उदाहरण है।

शरारती अंत। मामले में, मजिस्ट्रेट को पता था कि

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा निजी शिकायत दर्ज करने में महत्वपूर्ण देरी, और पहले के एन. सी. आर. संख्या 158/2012 से सामग्री में सुधार जो निजी शिकायत में किए गए थे। मजिस्ट्रेट का यह दायित्व था कि वह अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग की किसी भी संभावना की जांच करे, आगे की पूछताछ करे और न्यायिक विवेक के बाद शुरुआत में तुच्छ शिकायत को खारिज कर दे। हालाँकि, मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थियों के खिलाफ दिनांक 4.04.2019 के आदेश द्वारा प्रक्रिया जारी की, और यह विवाद अब निपटारे के लिए इस न्यायालय तक पहुँच गया है। [पारस 19 और 20] [568–डी–एफ] [2021] 2 एस. सी. आर.

3.1 इस न्यायालय के पास दुरुपयोग को रोकने की अंतर्निहित शक्तियां हैं

अपनी स्वयं की प्रक्रियाओं के बारे में, कि यह न्यायालय न्याय की संस्था का अनुचित साधनों के लिए उपयोग करने वाले वादी को पीड़ित नहीं करेगा। इस प्रकार, इस न्यायालय के लिए यह उचित होगा कि वह एक वादी को किसी भी राहत से इनकार करे जो अपने अशुद्ध हाथों से न्याय की धारा

को प्रदूषित करने का प्रयास करता है। इसी तरह, तुच्छ का पीछा करने वाला एक वादी और परेशान करने वाली कार्यवाही अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अदालत के समय और सार्वजनिक धन पर असीमित अधिकार का दावा नहीं कर सकती है। [पैरा 21] [568–जी–एच]

3.2 संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां

'पूर्ण न्याय' करने के लिए संविधान प्रक्रियात्मक कानून की सख्त कठोरता पर समानता और न्याय उन्मुख दृष्टिकोण को प्राथमिकता देने का अधिकार देता है। यह इस न्यायालय का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह अदालत को गुमराह करके और उसकी कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करके शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करे, केवल असहाय वादियों को परेशान करने के उद्देश्य से। पूर्ण न्याय करने के लिए, और अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 2006 से विभिन्न मुकदमों से लड़ने वाले पक्षों के बीच शांति लाने के लिए, इस घटना से उत्पन्न होने वाले पक्षों के बीच सभी मुकदमों को रद्द कर दिया जाता है। [पारस 22 और 23] [569–ए–डी]

पंजाब राज्य बनाम। रफीक मसीह (व्हाइटवॉशर) (2014) 8
एससीसी 883 [2014] 8 एससीआर 228; मोनिका कुमार (डॉ.) और
एन. आर. वी. उत्तर प्रदेश राज्य (2008) 8 एससीसी 781: [2008]
9 एस. सी. आर. 943–पर निर्भर।
सिराजुल और ओआरएस ओआरएस। .

वी. उत्तर प्रदेश राज्य

हरियाणा बनाम. भजन लाल एयर 1992 एस. सी. सी. 604: [1990] 3 पूरक। एस. सी. आर. 259–संदर्भित।

	मामला कानून संदर्भ	
(2004) 13 एससीसी 292	पैरा 4	पर भरोसा करें
[2001] 3 एससीआर 942	पैरा 4	पर भरोसा करें
[2013] 6 एससीआर 623	पैरा 4	पर भरोसा करें
[2012] 3 एससीआर 1059	पैरा 6	पर भरोसा करें
[2008] 10 एससीआर 454	पैरा 8	पर भरोसा करें
[2009] 1 एससीआर 517	पैरा 8	पर भरोसा करें
[1991] 3 पूरक एससीआर 325	पैरा 9	पर भरोसा करें
[1997] 5 पूरक। एससीआर 12	पैरा 13	पर भरोसा करें
[1964] एस. सी. आर. 239	पैरा 14	पर भरोसा करें
[1991] 2 पूरक। एससीआर 206	पैरा 16	पर भरोसा करें
[2014] 12 एससीआर 573	पैरा 17	पर भरोसा करें
[2014] 8 एससीआर 228	पैरा 22	पर भरोसा करें
[2008] 9 एससीआर 943	पैरा 22	पर भरोसा करें

[2015] 6 एससीआर 1021	पैरा 22	पर भरोसा करें
[1990] 3 पूरक। एससीआर 259	पैरा 22	संदर्भित किया गया है

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयःआपराधिक अपील सं 283/2021 का

उच्च न्यायालय के 28.09.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

मिश्र में इलाहाबाद में न्यायपालिका। 2020 की याचिका संख्या 2561।

प्रवीण अग्रवाल, गौतम कुमार लाहा, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

जितेंद्र एम. शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता। पवनश्री अग्रवाल, सर्वेश सिंह

बघेल, सुश्री शिवरंजनी रालावत, अजीत शर्मा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

मोहन एम. शांतनागौदर, जे.

1. अनुमति प्रदान की गई

2. यह अपील उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश और निर्णय से उत्पन्न होती है।

इलाहाबाद में न्यायिक न्यायालय (इसके बाद, 'उच्च न्यायालय') ने निम्नलिखित आदेशों को रद्द करने के लिए अनुरोध करते हुए अपीलकर्ताओं द्वारा दायर 2020 की विविध याचिका संख्या 2561 को खारिज करते हुए दिनांक 28.09.2020 दियाः

(i) लर्नड एडिशनल चीफ जुडिशल का दिनांकित 4.04.2019 आदेश

मजिस्ट्रेट, मेरठ (इसके बाद, 'मजिस्ट्रेट') शिकायत मामला संख्या 2943/2018 में, अपीलार्थियों के खिलाफ समन जारी करते हुए;

((ii) एल. डी. का दिनांकित 13.01.2020 आदेश। अतिरिक्त जिला और

सत्र न्यायाधीश, मेरठ (इसके बाद, 'सत्र न्यायाधीश') ने आपराधिक संशोधन No.202/2019 में उपरोक्त समन आदेश के खिलाफ अपीलार्थियों के पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया।

3. इस अपील के लिए संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैंः

3.1 अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 2 पड़ोसी हैं। हमारे सामने कार्यवाही की उत्पत्ति एक शारीरिक विवाद में निहित है जो

यह अपीलार्थियों और प्रतिवादी संख्या 2 और उनकी पत्नी के बीच 5.08.2012 पर हुआ। हालांकि इस तरह के विवाद की घटना पक्षों के बीच एक स्वीकृत तथ्य है, लेकिन इसका विवरण इस लंबे मुकदमे की जड़ है।

3.2 5.08.2012 पर, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थियों के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाते हुए एक गैर–संज्ञानात्मक रिपोर्ट (NCR) संख्या 158/2012 दायर की। भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद, 'आई. पी. सी.') की धारा 323, 504 और 506 के तहत। यह उनका मामला था कि अपीलार्थी उनके घर आए, उन्हें और उनकी पत्नी को लोहे की छड़ से पीटा और उन्हें जान से मारने की धमकी दी।

3.3 अपीलार्थी संख्या 1 के बेटे ने भी 5.08.2012 पर जानकारी दर्ज की, जिसे गैर–संज्ञानात्मक रिपोर्ट (NCR) संख्या 160/2012 के रूप में पंजीकृत किया गया था।

दाराला पुलिस स्टेशन के साथ, प्रतिवादी संख्या 2 और उसकी पत्नी के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 323, 504 और 506 के तहत अपराधों का आरोप लगाते हुए। इस रिपोर्ट के जवाब में आरोप

लगाया गया कि प्रतिवादी संख्या 2 और उसकी पत्नी अपीलार्थियों के घर आए, उन्हें लकड़ी की छड़ों और लोहे की छड़ों से पीटा और उनके परिवार को मारने की धमकी दी। 3.4 ऐसा लगता है कि कथित घटनाओं से पहले भी 2006 में दोनों पक्षों के बीच विवाद थे। एक पारस्परिक समझौता हुआ

से रु. 1,500 / – अपीलार्थी सं. 4 पर। जो भी हो, तथ्य यह है कि 2006 के बाद से दोनों दलों के बीच टकराव बना हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे 2006 से किसी न किसी बहाने से मुकदमे लड़ रहे हैं। हालाँकि वे किसान और पड़ोसी थे, लेकिन उनके बीच शांति नहीं बनी, जिसके परिणामस्वरूप उनके द्वारा एक–दूसरे के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए। 3.5 अपीलकर्ताओं ने कथित घटना के लगभग 5 साल बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद, 'सीआरपीसी') की धारा 155 (2) के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें पुलिस को एन. सी. आर. संख्या की जांच करने की अनुमति मांगी गई। द.

विद्वान मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिया कि एन. सी. आर. सं. 160/2012 द्वारा दायर किया गया अपीलार्थियों को अपराध सं. 283/2017 में प्राथमिकी के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। जाँच की गई और 17.09.2017 पर कृष्ण लाल चावला बनाम के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया।

धारा 323, 325, 504 और 506 के तहत प्रत्यर्थी संख्या 2 और उसकी पत्नी

आईपीसी। इसके बाद, मजिस्ट्रेट ने प्रतिवादी संख्या 2 और उसकी पत्नी के खिलाफ आरोप तय किए। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि आज तक एक भी गवाह से पूछताछ की गई है, हालांकि मजिस्ट्रेट द्वारा बहुत पहले आरोप तय किए गए थे। इस प्रकार, जांच और परीक्षण दोनों चरणों के दौरान इन कार्यवाही में काफी देरी हुई है।

3.6 अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों और दायर आरोप पत्र से असंतुष्ट होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 2 ने शिकायत मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत अपीलकर्ताओं के खिलाफ एक नई निजी शिकायत दर्ज की।

2018 की संख्या 2943 उसी घटना के संबंध में जो 5.08.2012 पर हुई थी। यह निजी शिकायत केवल 11.05.2018 पर दर्ज की गई थी, अर्थात

कथित घटना की तारीख से लगभग छह साल। निजी शिकायत में, न केवल नए आरोप जोड़े गए थे, बल्कि सभी आरोप बेतुके हैं और

एन. सी. आर. सं. 158/12 में किए गए कथन से अलग है, हालांकि घटना 5.08.2012 के समान है और एक ही पक्ष के बीच है। हो सकता है कि हमारे लिए निजी शिकायत की सामग्री का वर्णन करना आवश्यक न हो।

जैसा कि हम पाते हैं और खुद को संतुष्ट करते हैं कि निजी शिकायत में लगाए गए आरोप एन. सी. आर. सं. 158/12 में लगाए गए आरोपों पर पूर्ण भौतिक सुधार हैं। अन्य बातों के अलावा, निजी शिकायत में न केवल तीन अतिरिक्त चश्मदीद गवाहों को शामिल किया गया है, बल्कि धोखाधड़ी, बैल को चोट पहुँचाने, हलफनामे में जालसाजी आदि के आरोप भी निजी शिकायत में पाए गए हैं। पहली बार निजी शिकायत में आई. पी. सी. की धारा 429 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 10 और 11 के तहत अपराध करने का उल्लेख किया गया है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि अपीलकर्ता संख्या 4 ने प्रतिवादी संख्या 2 के बैल को 26.09.2011 पर चोट पहुंचाई थी, जिसके लिए अपीलार्थी संख्या 4 ने स्वेच्छा से स्वीकार किया था और 5 लाख रुपये का जुर्माना स्वीकार किया था। 1,500 मजिस्ट्रेट से जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। हालाँकि, हम कोई कारण नहीं

देखते हैं कि प्रतिवादी संख्या 2 ने निजी शिकायत में इस घटना को फिर से दोहराने का विकल्प क्यों चुना, क्योंकि अपीलार्थी संख्या 4 को पहले ही अपराध के लिए दोषी ठहराया जा चुका है, और यह वर्तमान मामले के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है।

दिलचस्प बात यह है कि मजिस्ट्रेट के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने में खुशी हुई अपीलार्थी इस परेशान करने वाली निजी शिकायत के आधार पर, जिसकी पुष्टि विवादित आदेश में विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा की गई। इस प्रकार विद्वान सत्र न्यायाधीश ने न केवल धारा 200, सी. आर. पी. सी. और इसके दायरे को गलत समझा है, बल्कि आई. पी. सी. की धारा 506 भाग II को पढ़कर प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में एक नया मामला भी बनाया है, जो आई. पी. सी. की धारा 506 के स्थान पर 7 साल से दंडनीय है, शायद केवल निजी [2021] 2 एस. सी. आर. लाने के लिए।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के तहत सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर शिकायत। यह किसी का मामला नहीं है कि धारा 506 (II) के तहत अपराध हुआ है, जिसका अर्थ है कि अदालतों ने प्रतिवादी/शिकायतकर्ता के मामले को सुधारने के लिए अतिरिक्त ब्याज लिया है।

यह अपील प्रक्रिया जारी करने के संबंध में मजिस्ट्रेट के साथ-साथ सत्र न्यायाधीश के दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए दायर की गई है।

ऊपर उल्लेख किया गया। 4. प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान वकील ने इस न्यायालय के निम्नलिखित अंश पर भरोसा करके विवादित आदेशों को सही ठहराने की कोशिश की।

उपकार सिंह बनाम में निर्णय। वेद प्रकाश और ओआरएस। , (2004) 13 एस. सी. सी. 292, जिसने टी. टी. एंटनी बनाम में अपनी पिछली हिस्सेदारी के आयात को स्पष्ट किया। केरल राज्य (2001) 6 एस. सी. सी. 181:

" 23. जो भी हो, यदि इस न्यायालय द्वारा टी. टी. एंटनी मामले [(2001) 6 एस. सी. सी. 181 में निर्धारित विधिः 2001 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1048] को यह मानते हुए स्वीकार किया जाना चाहिए कि उसी घटना के संबंध में दर्ज की गई दूसरी शिकायत संहिता के तहत प्रति-शिकायत के रूप में निषिद्ध है, तो हमारी राय में, इस तरह के निष्कर्ष से गंभीर स्थिति पैदा होगी।

परिणाम। यह नीचे दिए गए काल्पनिक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, अर्थात यदि वास्तविक अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध के संबंध में वह पहली बार झूठी शिकायत दर्ज करने का अवसर लेता है और वह अधिकार क्षेत्र की पुलिस द्वारा दर्ज की जाती है, तो ऐसे अपराध का पीड़ित पीड़ित मामला दर्ज करने से वंचित हो जाएगा।

घटना के बारे में अपना बयान देते हुए शिकायत, परिणामस्वरूप वह वास्तविक आरोपी को लाने के अपने वैध अधिकार से वंचित हो जाएगा

बुक करें। यह संहिता का उद्देश्य नहीं हो सकता है।

इसलिए, उपकार सिंह ने स्पष्ट किया कि इस न्यायालय का पिछला टी. टी. एंथनी में निर्णय उसी घटना के संबंध में दूसरी शिकायत दर्ज करने पर रोक नहीं लगाएगा, यदि ऐसी दूसरी शिकायत दूसरे पक्ष द्वारा जवाबी शिकायत के रूप में दर्ज की जाती है। हम टी. टी. एंथनी के उपरोक्त निर्माण से सहमत हैं। हालाँकि, हम यह देखने में विफल रहते हैं कि कानून की यह स्थिति प्रतिवादी संख्या 2 के बचाव में कैसे आती है। हमारे समक्ष विचार के लिए वर्तमान मामले में पूछा गया प्रश्न पूरी तरह से अलग है, और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर की गई निजी शिकायत की वैधता से संबंधित है, जो कि एन. सी. आर. संख्या 158/2012 के रूप में दायर की गई एक पूर्व

सूचना के बाद दर्ज की गई थी–दोनों एक ही पक्ष द्वारा एक ही आरोपी के खिलाफ दायर की गई थीं, और उसी घटना के संबंध में भी अपराध संख्या 160/12 में एन. सी. आर. संख्या 160/12 से उत्पन्न मामले में आरोप पत्र दायर किए जाने के बाद।

मजिस्ट्रेट की उचित अनुमति। उपकार सिंह के उपरोक्त भाग पर प्रतिवादी संख्या 2 ने भरोसा किया, इस प्रकार, उनके मामले को लाभ नहीं होता है।

5. वास्तव में, उपकार सिंह के फैसले पर करीब से नज़र डालना हमें विपरीत निष्कर्ष पर ले जाता है। सामग्री के बारे में उसी घटना के संबंध में उसी शिकायतकर्ता द्वारा उसी आरोपी के खिलाफ बाद की निजी शिकायत में किए गए सुधार, उपकार सिंह के निम्नलिखित अंश का उल्लेख करना उपयोगी हो सकता है, जो टी. टी. एंटनी में होल्डिंग को और स्पष्ट करता हैः

" 17 ..... हमारी राय में, इस न्यायालय ने उस मामले में केवल यह अभिनिर्धारित किया कि एक ही शिकायतकर्ता या अन्य द्वारा एक ही अभियुक्त के खिलाफ कोई भी आगे की शिकायत, मामला दर्ज होने के बाद, संहिता के तहत निषिद्ध है क्योंकि इस संबंध में जांच पहले ही शुरू हो चुकी होगी और उसी अभियुक्त के खिलाफ आगे की शिकायत मूल शिकायत में उल्लिखित तथ्यों में सुधार के बराबर होगी, इसलिए धारा 162 के तहत निषिद्ध किया जाएगा।

कोड का "। (जोर दिया गया)

उपकार सिंह में हिस्सेदारी का उपरोक्त हिस्सा यह है कि

यह वर्तमान मामले पर सीधे और दृढ़ता से निर्भर करता है। उपकार सिंह के मामले में इस अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसी द्वारा कोई और शिकायत

उसी अभियुक्त के खिलाफ शिकायतकर्ता, मामला दर्ज होने के बाद, मूल शिकायत से सुधार माना जाएगा। यद्यपि उपकार सिंह को संज्ञेय अपराधों से जुड़े मामले के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन वही सिद्धांत तब भी लागू होगा जब कोई व्यक्ति एक गैर–संज्ञेय अपराध की जानकारी देता है और बाद में उसी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ उसी अपराध के संबंध में एक निजी शिकायत दर्ज करता है। गैर–संज्ञेय मामले में भी, मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति को छोड़कर, संज्ञेय मामले की तरह ही अपराध की जांच करने का अधिकार है। इसलिए, शिकायतकर्ता अभियुक्त को पुलिस द्वारा जाँच और पुलिस के समक्ष जाँच की दोहरी मार नहीं दे सकता है।

हम इस तथ्य से अवगत हैं कि वर्तमान मामले में, एन. सी. आर. संख्या 158/2012 के अनुसार कोई जांच शुरू नहीं की गई थी। प्रत्यर्थी संख्या 2 एक निश्चित अवधि के लिए। हालांकि, उपकार सिंह मामले में इस अदालत द्वारा व्यक्त की गई समग्र चिंता, क्रमिक के दुरुपयोग के बारे में है।

उसी पक्ष की शिकायतें, जहां दूसरी शिकायत स्पष्ट रूप से पहले की शिकायत में भौतिक रूप से सुधार के लिए की गई है, हमारे साथ प्रतिध्वनित होती हैं।

हमें यह कहते हुए खेद है कि वही बात जो इस अदालत ने उपकार सिंह में स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित की थी, वर्तमान मामले में हुई है।

6. इस तरह के दुरुपयोग की अनुमति देने के गंभीर निहितार्थ हो सकते हैं –

इस न्यायालय द्वारा अमितभाई अनिलचंद्र शाह बनाम में निम्नलिखित व्याख्या के आलोक में बेहतर समझा गया। सी. बी. आई. और ए. एन. आर. , (2013) 6 एस. सी. सी. 328:

" 37. इस न्यायालय ने संहिता की व्याख्या करने वाले मुद्दे पर लगातार कानून निर्धारित किया है कि किसी अपराध या उसी दौरान किए गए विभिन्न अपराधों के संबंध में दूसरी प्राथमिकी दर्ज की जाए।

लेन–देन न केवल अनुज्ञेय है बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। टी. टी. एंटनी [(2001) 6 एस. सी. सी. 181: 2001 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1048], इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि दूसरी एफ. आई. आर. दर्ज करना (जो एक दूसरे के खिलाफ मामला नहीं है) अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। संविधान का। "(जोर दिया गया)

संविधान का अनुच्छेद 21 इस बात की गारंटी देता है कि कानून की उचित प्रक्रिया के अलावा जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार नहीं खोया जाएगा। एक ही घटना के संबंध में एक ही पक्ष द्वारा कई शिकायतों को अनुमति देने से, चाहे वह एक संज्ञेय या निजी शिकायत अपराध हो, आरोपी को कई आपराधिक कार्यवाही में फंसाया जा सकता है। इस प्रकार, वह अपनी स्वतंत्रता और बहुमूल्य का समर्पण करने के लिए मजबूर होगा।

प्रत्येक मामले में आवश्यकता पड़ने पर पुलिस और न्यायालयों के समक्ष समय। जैसा कि इस न्यायालय ने अमितभाई अनिलचंद्र शाह (ऊपर) में कहा है, दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की इस तरह की बेतुकी और शरारतपूर्ण व्याख्या संवैधानिक जांच की कसौटी पर खरी नहीं उतरेगी, और इसलिए हम इसे नहीं अपना सकते।

7. एक व्यक्ति पर इस तरह की क्रमिक प्राथमिकियों के प्रभाव

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों को टी. टी. एंटनी (ऊपर) में और विस्तार से बताया गया हैः

" 27. नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बीच एक न्यायपूर्ण संतुलन

संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत और

संज्ञेय अपराध की जाँच करने की पुलिस की शक्ति होनी चाहिए

अदालत द्वारा मारा गया। कोई विवाद नहीं हो सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 की धारा (8) पुलिस को ऐसा करने का अधिकार देती है –

आगे की जांच, आगे के साक्ष्य प्राप्त करें (मौखिक और मौखिक दोनों)

वृत्तचित्र) और एक और रिपोर्ट या रिपोर्ट को अग्रेषित करें

मजिस्ट्रेट। नारंग मामले में [राम लाल नारंग बनाम। राज्य (दिल्ली प्रशासन), (1979) 2 एससीसी 322: 1979 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 479] हालाँकि, यह था,

यह देखा गया कि आगे कृष्ण लाल चावला बनाम का संचालन करना उचित होगा।

के संबंध में पुलिस द्वारा हर बार नए सिरे से जांच करने के लिए नागरिक एक ही घटना, जो एक या अधिक संज्ञेय अपराधों को जन्म देती है,

एक के बाद एक प्राथमिकियां दर्ज करने के परिणामस्वरूप, चाहे वह पहले हो या बाद में

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) के तहत अंतिम रिपोर्ट दाखिल करना।

(जोर दिया गया)

इस प्रकार, इस नाजुक स्थिति को संरक्षित करना इस न्यायालय का दायित्व है।

सी. आर. पी. सी. के तहत अपराधों की जांच करने की शक्ति और राज्य की शक्ति द्वारा उस पर थोपे गए तुच्छ और दोहराए जाने वाले आपराधिक अभियोजनों से मुक्त होने के व्यक्ति के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन। यदि प्रत्यर्थी संख्या 2 अपने द्वारा दायर पहले के मामले में त्वरित जांच की कमी से व्यथित था, तो उचित उपाय

इस संबंध में पुलिस को निर्देश देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 (2) के तहत मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करना होता। सूचना देने की तारीख से छह साल के अंतराल के बाद बिना किसी प्रस्तावना के निजी शिकायत दर्ज करना। पुलिस के लिए, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से दुर्भावनापूर्ण संकेत।

8. यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नए शिकायत मामले में

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने जानबूझकर इस भौतिक तथ्य को दबा दिया है कि अपीलार्थी संख्या 1 के बेटे द्वारा दायर एन. सी. आर. संख्या 160/2012 (अपराध संख्या 283/2017) के अनुसार, उसी घटना के संबंध में उसके और उसकी पत्नी के खिलाफ पहले से ही एक आरोप पत्र दायर किया गया था। इस आरोप पत्र का कोई संदर्भ निजी शिकायत में या प्रतिवादी संख्या 2 और उसकी पत्नी द्वारा दायर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत दिए गए बयानों में नहीं मिलता है। वास्तव में, उनकी पत्नी की ओर से दायर निजी शिकायत और बयान दोनों में केवल यह कहा गया है कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया है कि उनके एन. सी. आर. No.158/2012 के अनुसार जांच चल रही है। पत्नी की बयान में यह भी कहा गया है कि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तथ्यों का पूर्ण और सच्चा खुलासा करना वादी का परम कर्तव्य है। यह एक तुच्छ कानून का मामला है, और फिर भी दोहराया जाता है, कि अदालत के समक्ष भौतिक तथ्यों का दमन अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, और इससे भारी हाथ से निपटा जाएगा (राम धन बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्र. , (2012) 5 एससीसी 536; केडी शर्मा बनाम भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, (2008) 12 एस. सी. सी. 481)।

9. यह भी ध्यान देने योग्य है कि 5.08.2012 पर, अपीलार्थी सं. 1

एक 76 वर्षीय व्यक्ति था; अपीलकर्ता संख्या 2 मिरगी के दौरे से पीड़ित था; और अपीलकर्ता संख्या। 4 वह अस्वस्थ दिमाग का था। कोई इक्विटी [2021] 2 एस. सी. आर. नहीं है।

कथित घटना के 6 साल बाद स्थापित एक छोटे से अपराध से संबंधित आपराधिक कार्यवाही में उन्हें घसीटने की अनुमति देने में। डेमोक्लिस की तलवार को हमेशा के लिए उनके सिर पर लटकने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो अपनी इच्छानुसार परेशान करने और प्रताड़ित करने की मांग करने वाले वादी की सनक पर अप्रत्याशित रूप से गिरती है। हम संविधान के अनुच्छेद 21 से अपने निष्कर्षों में ताकत प्राप्त करते हैं, जो त्वरित मुकदमे के अधिकार को शामिल करता है। इस अधिकार की व्याख्या न केवल न्यायालय के समक्ष वास्तविक मुकदमे को शामिल करने के लिए की गई है, बल्कि जांच और पुलिस जांच के पूर्ववर्ती चरणों को भी शामिल किया गया है (वकील प्रसाद सिंह बनाम। बिहार राज्य, (2009) 3 एससीसी 355; अब्दुल

रहमान अंतुले और ओरस। वी. आर. एस. नायक और एन. , (1992) 1 एससीसी 225)।

10. उपरोक्त परिस्थितियों और पूर्ववर्तियों का योग हमें उस निष्कर्ष पर ले जाता है जिसे हम एक अपरिहार्य निष्कर्ष के रूप में देखते हैं। वह उत्तरदाता संख्या 2

2018 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत नए शिकायत मामले की स्थापना अपीलार्थियों को परेशान करने के अप्रत्यक्ष उद्देश्य से मजिस्ट्रेट को गुमराह करने का एक ठोस प्रयास था, जिसमें

उनके खिलाफ एक तुच्छ और परेशान करने वाला मामला दर्ज किया गया था। यह अपीलार्थी द्वारा दर्ज मामले में प्रत्यर्थी संख्या 2 और उसकी पत्नी के खिलाफ दायर दिनांकित 17.09.2017 के आरोप पत्र के लिए एक जवाबी विस्फोट था। दुर्भावना और द्वेष का इतिहास पक्षकार कथित घटना के बहुत वर्षों बाद, तुच्छ और कष्टप्रद आपराधिक मुकदमेबाजी में अपीलार्थियों को बांधने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 की प्रेरणाओं को और अधिक विश्वसनीय बनाते हैं। विलंबित शिकायत मामला दर्ज करने, भौतिक तथ्यों को दबाने और नए तथ्यों का उपयोग करने में प्रतिवादी संख्या 2 का आचरण।

उसके पहले के संस्करण में भौतिक रूप से सुधार करने की कार्यवाही, समग्र रूप से, अदालत की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है।

न्यायालय के दुरुपयोग को रोकने में निचली न्यायपालिका की भूमिका

प्रक्रियाः 11. हम यह देखना अनिवार्य समझते हैं कि यह एक ऐसा मामला है जिसे इस न्यायालय तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। न्याय

भारत में वितरण तंत्र बैकलॉग से ग्रस्त है, जिसमें अधीनस्थ अदालतों के समक्ष 70 प्रतिशत विचाराधीनता आपराधिक पक्ष में है। 1 इस बैकलॉग में एक महत्वपूर्ण कारक वादियों द्वारा अपने शरारतपूर्ण उद्देश्यों के लिए न्याय की अदालतों का उपयोग करने के इरादे से साल दर साल स्थापित किए गए तुच्छ मुकदमों का विशाल समूह है। इस तरह की परेशान करने वाली मुकदमेबाजी को कम करना, इस प्रकार, एक अधिक प्रभावी न्याय प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है–एक ऐसा कदम जो निचली न्यायपालिका की सक्रिय भागीदारी के बिना नहीं उठाया जा सकता है।

विशेष रूप से आपराधिक कार्यवाही में। 1 रोशनी सिन्हा 'न्यायपालिका में लंबित मामलों की जांच', पीआरएस इंडिया (8 अगस्त, 2019)।

12. आपराधिक न्याय प्रणाली शुरू होने के तुरंत बाद,

इसका पाठ्यक्रम लगभग पूरी तरह से मजिस्ट्रेट द्वारा मन के न्यायिक अनुप्रयोग पर निर्भर है। जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत संज्ञेय अपराध करने पर पुलिस शिकायत दर्ज की जाती है, तो मजिस्ट्रेट तय करता है कि मुकदमा शुरू होने से पहले आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाया जाता है या नहीं। यदि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत शिकायत दर्ज की जाती है तो अलग प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। उपरोक्त प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि मजिस्ट्रेट सूचना देने वाले/शिकायतकर्ता द्वारा शुरू किए जाने के बाद आपराधिक कार्यवाही की धारा को आगे बढ़ाता है। नतीजतन, और स्वचालित रूप से, मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी लेता है कि यह धारा उन मामलों में आगे न बढ़े जहां इसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए।

13. मजिस्ट्रेट को दी गई उपरोक्त शक्तियाँ गंभीर हैं।

व्यक्तिगत नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता पर प्रभाव। इस प्रकार, ये शक्तियाँ मजिस्ट्रेट के कंधों पर भी बड़ी जिम्मेदारी प्रदान करती हैं–और इसका उपयोग बहुत सावधानी के साथ और उचित न्यायिक अनुप्रयोग के बाद किया जाना चाहिए। पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय द्वारा इसी तरह के अवलोकन किए गए थे। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (1998) 5 एस. सी. सी. 749:

बात है। आपराधिक कानून को इस रूप में लागू नहीं किया जा सकता है कि बेशक। ऐसा नहीं है कि शिकायतकर्ता को केवल दो लाने होते हैं।

शिकायत में अपने आरोपों का समर्थन करने के लिए गवाह

अभियुक्त को बुलाना यह दर्शाना चाहिए कि उसने अपना दिमाग लगाया है मामले के तथ्यों और उस पर लागू कानून के लिए। उसे करना पड़ता है।

शिकायत में लगाए गए आरोपों की प्रकृति की जांच करें और उसके समर्थन में मौखिक और दस्तावेजी दोनों साक्ष्य और

जो शिकायतकर्ता के लिए आरोप लगाने में सफल होने के लिए पर्याप्त हो अभियुक्त का घर। ऐसा नहीं है कि मजिस्ट्रेट चुप हैं।

पूर्व में प्रारंभिक साक्ष्य दर्ज करने के समय दर्शक

अभियुक्त को बुलाना। मजिस्ट्रेट को सावधानी बरतनी होगी अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य की जांच करें और खुद भी कर सकते हैं

जवाब प्राप्त करने के लिए शिकायतकर्ता और उसके गवाहों से सवाल पूछें आरोपों की सच्चाई या अन्यथा का पता लगाने के लिए और

फिर जाँच करें कि क्या कोई अपराध प्रथम दृष्टया सभी द्वारा किया गया है या अभियुक्तों में से कोई भी।

(जोर दिया गया)

इस प्रकार, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर दिया कि एक समन आदेश गंभीर महत्व का विषय है, और मजिस्ट्रेट [2021] 2 एस. सी. आर. आपराधिक कानून को केवल खुद को संतुष्ट करने के बाद अपना काम करने देना चाहिए कि एक वास्तविक मामला बनाया जाना है।

14. इसी तरह, धारा के तहत मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्ति 202 , सी. आर. पी. सी. एक निजी शिकायत के अनुसार प्रक्रिया के मुद्दे को स्थगित करने के लिए भी तुच्छ शिकायतों को छानने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करता है जिनका पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए। इस न्यायालय की चार न्यायाधीशों की पीठ ने चंद्र देव सिंह बनाम में इस पर स्पष्ट रूप से व्याख्या की है। प्रोकाश चंद्र बोस और अन्र। , ए. आई. आर 1963 एस. सी 1430:

" 7. ..... निस्संदेह, धारा के प्रावधानों के पीछे के उद्देश्यों में से एक

किसी व्यक्ति को रोकने के उद्देश्य से शिकायत में लगाए गए आरोप एक का सामना करने के लिए बुलाए जाने से अभियुक्त के रूप में नामित

स्पष्ट रूप से तुच्छ शिकायत। लेकिन इसके पीछे एक और उद्देश्य भी है।

यह प्रावधान और यह पता लगाने के लिए है कि समर्थन करने के लिए कौन सी सामग्री है शिकायत में लगाए गए आरोप। यह बाध्यकारी कर्तव्य है

मजिस्ट्रेट ने सभी तथ्यों को उजागर करने के लिए जांच करते हुए न केवल

अनुपस्थित अभियुक्त व्यक्ति के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से,

लेकिन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की दृष्टि से भी

जिन पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। क्या शिकायत है तुच्छ या नहीं, उस स्तर पर, आवश्यक रूप से निर्धारित किया जाना है

शिकायतकर्ता द्वारा उसके समक्ष रखी गई सामग्री का आधार।

(जोर दिया गया)

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि, एक निजी शिकायत की प्राप्ति पर,

मजिस्ट्रेट को पहले यह जांचने के लिए इसकी जांच करनी चाहिए कि क्या निजी शिकायत में लगाए गए आरोप, अन्य बातों के साथ-साथ, तुच्छ मुकदमेबाजी के उदाहरण हैं; और दूसरा, शिकायतकर्ता के मामले का समर्थन करने वाली सामग्री की जांच और पता लगाना।

15. ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक परीक्षण खोज की एक यात्रा है जिसमें सत्य खोज है। भारत में, आम तौर पर, न्यायाधीश हमारी न्याय प्रणाली की प्रतिकूल प्रकृति के कारण 'तथ्य-निष्कर्ष' में सक्रिय रूप से शामिल नहीं होता है। हालांकि, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 165 न्यायाधीश को किसी भी समय सामग्री के उत्पादन का आदेश देने और किसी भी रूप में प्रश्न रखने की शक्ति प्रदान करके, हमारी कानूनी प्रणाली में पूछताछ प्रक्रियाओं के प्रभाव को चिह्नित करती है। यह व्यापक शक्ति आगे आपराधिक कार्यवाही में न्याय और सच्चाई की खोज में मजिस्ट्रेट द्वारा निभाई गई केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है, और तुच्छ मुकदमेबाजी के प्रवाह को रोकने के लिए विवेकपूर्ण तरीके से नियोजित किया जाना चाहिए।

16. यह सब एक अपरिहार्य निष्कर्ष की ओर ले जाता है। कि संविधान और सी. आर. पी. सी. के तहत विचारण न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वह पहचान करे और उसे प्रदत्त शक्तियों का पर्याप्त रूप से और पूरी तरह से प्रयोग करके प्रारंभिक चरण में तुच्छ मुकदमेबाजी का निपटारा करना। इस न्यायालय ने पहले अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम में विचारण न्यायाधीशों द्वारा उच्च स्तर की जिम्मेदारी पर जोर दिया है। भारत संघ, (1992) 1 एससीसी 119। रंगनाथ मिश्रा सी. जे. (जैसा कि वे उस समय थे) ने अपने और दो अन्य लोगों के लिए लिखाः

" 42. न्याय प्रशासन की पदानुक्रमित प्रणाली में विचारण न्यायाधीश प्रमुख होता है। अदालत में कार्यवाही के दौरान वह सीधे वादी के संपर्क में आता है। उस पर मामले को उचित रूप से तैयार करने की जिम्मेदारी है और मामले की उसकी समझ पर पहले न्याय के कारण का जवाब दिया जाता है। व्यक्तित्व, ज्ञान, न्यायिक संयम, गरिमा बनाए रखने की क्षमता ऐसे अतिरिक्त पहलू हैं जो न्यायालय के कामकाज को बनाने में मदद करते हैं।

सफल "।

17. तुच्छ मुकदमेबाजी भारत में आम बात नहीं बननी चाहिए। के जनहित याचिका अधिकार क्षेत्र के दुरुपयोग से भारतीय अदालतों को अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए, न्याय वितरण प्रणाली का उपयोग व्यक्तिगत प्रतिशोध को पूरा करने के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय न्यायपालिका ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया है। 2014 में, इस न्यायालय ने सुब्रत राय सहारा में तुच्छ कार्यवाही के जाल में फंसे एक वादी की दुर्दशा को इस प्रकार स्पष्ट कियाः

वी. भारत संघ, (2014) 8 एस. सी. सी. 470:

" 191 ..... यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मुकदमेबाजी की प्रक्रिया में, गैर-जिम्मेदाराना और मूर्खतापूर्ण दावा। वह लंबे समय से घबराहट और बेचैनी की चिंता की अवधि से पीड़ित है, जबकि मुकदमेबाजी है उसकी ओर से किसी भी गलती के बिना, लंबित। वह मुकदमेबाजी के लिए अपनी बचत (या अपने

उधार से) से भुगतान करता है, इस चिंता में कि दूसरा पक्ष उसे धोखा देकर हार में डाल सकता है, बिना उसकी गलती के। वह वकील को जानकारी देने और उन्हें अपने दावे के लिए तैयार करने में अमूल्य समय बिताता है। जो समय उसे काम पर या अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए था, वह बिना किसी गलती के बर्बाद हो जाता है।

जबकि न्यायालय का निर्णय दीवानी कार्यवाही से संबंधित था, ये टिप्पणियां आपराधिक न्याय तंत्र के लिए भी सही हैं। हम खेद के साथ नोट करते हैं कि 7 साल बाद भी ऐसी दुर्दशा में कोई कमी नहीं आई है। एक झूठा आरोपी व्यक्ति न केवल मौद्रिक [2021] 2 एस. सी. आर. से पीड़ित होता है।

हानि पहुँचाता है लेकिन समाज से बदनामी और कलंक के संपर्क में आता है। अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील खोजने के लिए एक से दूसरे पद पर दौड़ते हुए और अदालत के समक्ष अपना बचाव करने के लिए वित्त की व्यवस्था करते हुए, वह अपना एक हिस्सा खो देता है।

18. जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस अन्याय पर अंकुश लगाने में निचली अदालतों और मजिस्ट्रेटों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे रक्षा की पहली पंक्तियाँ हैं।

आपराधिक न्याय प्रणाली की अखंडता और परेशान और परेशान वादी दोनों के लिए। हमारी यह सुविचारित राय है कि विचारण न्यायालयों के पास न केवल विचारण के बाद अभियुक्त व्यक्ति को बरी करने या दोषी ठहराए जाने पर निर्णय लेने की शक्ति है, बल्कि उपयुक्त मामलों में अभियुक्तों को आरोपमुक्त करके विचारण के चरण में पहुंचने से पहले ही तुच्छ मुकदमों को शुरू में ही समाप्त करने का कर्तव्य भी है। इससे न केवल न्यायिक समय की बचत होगी जो सार्वजनिक धन की कीमत पर आता है, बल्कि स्वतंत्रता के उस अधिकार की भी रक्षा होगी जिसका प्रत्येक व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हकदार है। इसमें

संदर्भ में, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में विचारण न्यायाधीशों की उतनी ही जिम्मेदारी है, जितनी इस देश के सर्वोच्च न्यायालय की है।

19. जैसा कि ऊपर हमारे द्वारा दर्ज किया गया है, वर्तमान विवाद एक

तुच्छ वादियों द्वारा अपने शरारती उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का विशिष्ट उदाहरण। हमारे समक्ष मामले में, मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा निजी शिकायत दर्ज करने में महत्वपूर्ण देरी और पहले के एन. सी. आर. संख्या 158/2012 से भौतिक सुधारों से अवगत थे जो निजी शिकायत में किए गए थे। मजिस्ट्रेट का यह दायित्व था कि वह अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग की किसी भी संभावना की जांच करे, आगे की पूछताछ करे और न्यायिक विवेक के बाद शुरुआत में तुच्छ शिकायत को खारिज कर दे।

20. हालांकि, ऐसा नहीं किया गया–मजिस्ट्रेट ने प्रक्रिया जारी की

अपीलार्थियों के विरुद्ध दिनांक 1 के आदेश द्वारा, और यह विवाद अब निपटारे के लिए इस न्यायालय तक पहुँच गया है।

21. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि इस न्यायालय के पास अंतर्निहित शक्तियां हैं।

अपनी स्वयं की प्रक्रियाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए, कि यह न्यायालय न्याय की संस्था का अनुचित साधनों के लिए उपयोग करने वाले वादी को पीड़ित नहीं करेगा। इस प्रकार, इस न्यायालय के लिए यह उचित होगा कि वह एक वादी को किसी भी राहत से इनकार करे जो अपने अशुद्ध हाथों से न्याय की धारा को प्रदूषित करने का प्रयास करता है। इसी तरह, तुच्छ और परेशान करने वाली

कार्यवाही करने वाला वादी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अदालत के समय और सार्वजनिक धन पर असीमित अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।

22. संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां

'पूर्ण न्याय' करने के लिए संविधान हमें प्रक्रियात्मक कानून की सख्त कठोरता पर समानता और न्याय उन्मुख दृष्टिकोण को प्राथमिकता देने का अधिकार देता है (पंजाब राज्य बनाम। रफीक मसीह (व्हाइटवॉशर), (2014) 8 एस. सी. सी. 883)। इस न्यायालय ने इस अंतर्निहित शक्ति का उपयोग आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए किया है जहां कार्यवाही एक अप्रत्यक्ष उद्देश्य के साथ या निर्मित साक्ष्य (मोनिका कुमार (डॉ.) और अन्य) पर शुरू की जाती है। वी. उत्तर प्रदेश राज्य (2008) 8 एस. सी. सी. 781)। अन्य निर्णयों में कहा गया है कि धारा 482, दंड प्रक्रिया संहिता में प्रदान की गई उच्च न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग बड़ी देरी के बाद या प्रतिशोधपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के साथ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए किया जा सकता है। (सिराजुल और ओरस। वी. उत्तर प्रदेश राज्य, (2015) 9 एस. सी. सी. 201; हरियाणा राज्य बनाम। भजन लाल, आकाशवाणी 1992 एस. सी. सी. 604)। इस प्रकार, यह इस न्यायालय का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह अदालत को गुमराह करके और उसकी कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करके शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करे, केवल असहाय वादियों को परेशान करने के उद्देश्य से।

23. पूर्ण न्याय और शांति लाने के लिए इस न्यायालय की खोज में

2006 से विभिन्न मुकदमे लड़ रहे पक्षों के बीच, हम इस घटना से उत्पन्न होने वाले पक्षों के बीच सभी मुकदमों को रद्द करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं।

हमारे निष्कर्षः

24. उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय दिनांक 28.09.2020

26. इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर एन. सी. आर. संख्या 158/2012 दिनांक 5.08.2012 के अनुसार कार्यवाही को भी रद्द कर दिया जाए, ताकि आगे की तुच्छ मुकदमेबाजी को रोका जा सके। 27. दिनांक 5.08.2012 की घटना के संबंध में उनके द्वारा शुरू किए गए पक्षों के बीच कोई अन्य आपराधिक मामले, जिसमें अपराधी भी शामिल है।

अपीलार्थियों द्वारा स्थापित एन. सी. आर. No.160/2012 (अपराध संख्या 283/2017) से उत्पन्न होने वाली कार्यवाहियों को, 9 साल पहले एक छोटी सी घटना से उत्पन्न होने वाली इन आपराधिक कार्यवाहियों को शांत करने के हित में, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत हमारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए रद्द कर दिया जाता है।

28. अपील की अनुमति उपरोक्त शर्तों में दी गई है।

अपील की अनुमति दी गई।